

मेरे द्वारा दिनांक 28.08.2022 को सहारनपुर जाने के लिए सरकारी वाहन संख्या UP70AJ-2010 से जाने हेतु अनुमति पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त अनुक्रम में कुल 848 किमी. की निजी यात्रा की गयी, जिसमें से 200 किमी. छूट माह अगस्त 2022 में काटने के उपरान्त 648 किमी. का किराया मुव. 03 रुपये प्रति किमी. की दर से कुल 1944/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 13.09.2022 को चालान संख्या 0700/01/ID00002 से जमा कर दिये गये है।

जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।

कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2  
प्रपत्र संख्या 43ए (1)  
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)  
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) संस्था के नाम धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
2. पता

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा मधुपुर  
30 प्रो सरकारी

प्रधान परिवार न्यायालय, मधुपुर

3. पंजीकरण संख्या/पंज. का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि: किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

शासकीय वाहन प्रयोग व्यय राशि  
30 प्रो सरकारी

5. चालान की सकल राशि
6. चालान की निबल राशि
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :

007060800050000

8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप-मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्यवहार शीर्षक	धनराशि(अंको में)
0070	60	800	05	0000	Rs. 1944/-

धनराशि (शब्दों में) (एक हजार नां सौ - चार बीस मात्र)


योग Rs. 1944/-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मधुपुर जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ 1944

चालान संख्या 0700/01/ID00002



दिनांक : .....

प्राप्त किया प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित